(99)

न्यायालय श्री मान् माननीय राजस्व मंण्डल ग्वालियर म0प्र0

गोरेलाल पिता छुन्नू पटेल उम्र 61 वर्ष निवासी ग्राम नौगवा थाना तहसील मानपुर जिला उमरिया म0प्र0

निग - 1189 - III - 16

.... आवेदक / पुनिरीक्षणकर्ता

बनाम

1. गोलन्दी बाई पति मोलई कुर्मी पत्नी छुन्नू कुर्मी
2. लालमणि पिता छुन्नू कुर्मी दोनो निवासी ग्राम नौगवा थाना तहसील मानपुर जिला उमरिया म0प्र0

.... अनावेदक / उत्तरदाता

पुनिरीक्षण विरूद्व निर्णय व आदेश अनुविभागीय अधिकारी मानपुर के अंतरिम आदेश रा0 प्र0 क्रमांक 59/अपील/13–14 आदेश दिनांक 16/03/16 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 50(1) म0प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959।

मान्यवर,

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य यह है कि आराजी ग्राम नौगवा पटवारी हल्का नौंगवा आराजी खसरा नं0 88, 274, 327, 476, 848, 823, 908, 910, 949, रकवा क्रमश 0. 129, 0.109, 0.020. 0.251, 0.186, 0.105, 0.587, 0.425, 0.210, कुल नौ किता कुल रकवा 2.022 हे0 था जिसे स्व0 बोधराम पिता रामसखी कुर्मी निवासी नौंगवा द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 33 दिनांक 18/02/90 के अनुसार उत्तरदाता क्रमांक 01 गोलन्दी एवं उसके भाई रामसोहावन के सह खाते की सम्पूर्ण भूमि का नामांतरण अपने नाम करा लिया जिसमें स्व रामसोहावन एवं गोलन्दी का 1/2 हक हिस्सा होता था जिसकी जानकारी आवेदक एवं रामसोहावन को मिली उस समय स्व0 रामसोहावन आवेदक के घर मे ही रहता था आवेदक द्वारा उसकी सेवा सहाई सम्पूर्ण परवरिश आवेदक करता था स्व0 रामसोहावन द्वारा आवेदक को कहा गया कि बोधराम कुर्मी

गोरेलाल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1189-तीन/2016 जिला उमरिया गोरेलाल विरूद्ध गोलन्दी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मानपुर के प्रकरण क्रमांक 59/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 16-03-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 13-04-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर उमरिया के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर उमरिया को अंतरित किया जाता	31/12-18

है । **आवेदक दिनांक** 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि **लेकर कलेक्टर** उमरिया के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित **अभिलेख कलेक्टर** उमरिया के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

31.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य